

**पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश।**

आज दिनांक- 17.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों, बस स्टैण्ड में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक:- 17.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद की पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु व्यापक अभियान चलाया गया।

जनपद के समस्त थानाक्षेत्रों में पुलिस बल द्वारा बैंकों का गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें बैंक परिसर में लगे सुरक्षा उपकरणों अग्निशामक यंत्र, अलार्म सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे आदि की कार्यशीलता की जाँच की गई। बैंक के आस-पास खड़े संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की भी सघन चेकिंग की गई।

इसके अतिरिक्त बस स्टैण्ड क्षेत्र में गश्त करते हुए विभिन्न बसों एवं ऑटो वाहनों की तलाशी ली गई एवं संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर आवश्यक पूछताछ की गई। यात्रियों से संवाद स्थापित करते हुए सुरक्षा संबंधी सुझाव लिए गए एवं उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास सुदृढ़ हो।

जनपद पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें।

इसी क्रम में आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।



जनपद महोबा में अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन द्वारा अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न-

दिनांक 16.05.2025 को अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन डॉ. संजीव गुप्ता द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस. के साथ जनपद महोबा में आगमन किया गया। उनके स्वागत हेतु पुलिस लाइन महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा पुलिस लाइन महोबा स्थित सभागार में जनपदीय पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।

प्रमुख निर्देश एवं बिंदु:

जनपद में अपराधों की रोकथाम, शांति व्यवस्था बनाए रखने, और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रभावी दिशा-निर्देश दिए गए।

मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शस्त्र निर्माण, संग्रहण व बिक्री में लिप्त अपराधियों पर सख्त एवं त्वरित कार्यवाही के निर्देश।

गुण्डे, माफिया, हिस्ट्रीशीटर, टॉप-10 वांछित व इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी।

चोरी, लूट, टप्पेबाजी, नकबजनी जैसी घटनाओं की रोकथाम हेतु भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नियमित पैदल गश्त एवं रात्रि गश्त को प्रभावी बनाने पर बल दिया गया।

महिला सम्बन्धी अपराधों के संबंध में संवेदनशीलता एवं शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता पर विशेष बल।

अपर पुलिस महानिदेशक डॉ. संजीव गुप्ता ने अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशीलता, त्वरित कार्यवाही, एवं पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपराध और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस बल को सतर्कता, समर्पण, एवं टीमवर्क के साथ कार्य करना होगा।

जनपद महोबा की कानून-व्यवस्था एवं पुलिस कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं जनहितकारी बनाने हेतु सभी अधिकारियों को सतत सक्रियता व जिम्मेदारी से कार्य करने का आह्वान किया गया।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार मौजूद रहे।



जनपद महोबा की थाना खन्ना एवं एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित एवं 25 हजार रु. के इनामियां शातिर अपराधी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार अभियुक्त ने पुलिस को देख की फायरिंग, आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, जिन्दा एवं खोखा कारतूस सहित 01 मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे शातिर इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 17.05.2025 को अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना खन्ना एवं जनपदीय एसओजी पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा इलाहीपुरवा तिराहा, सर्विस रोड के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने की कोशिश की गई। उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने उसे नियंत्रण में लिया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है जिससे वह घायल हो गया, जिसे तत्काल हिरासत में लेकर आवश्यक उपचार हेतु भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान दीपक अहिरवार पुत्र पंचम लाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी नया प्राइवेट बस स्टैंड के पास, होटल मीरा हेरिटेज के पीछे, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा के रूप में हुई है। इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस नाजायज 315 बोर सहित 01 मोटर साइकिल की बरामदगी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर अपराधी है जो गैंगस्टर एक्ट में काफी समय से वांछित चल रहा था,

अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना कोतवाली नगर, महोबा में चोरी, लूट, गैंगस्टर एक्ट व गुण्डा एक्ट जैसे संगीन अभियोग पंजीकृत हैं।

पुलिस मुठभेड़ व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना खन्ना में . मु0अ0सं0 56/25 धारा 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं बरामद मोटरसाइकिल को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

दीपक अहिरवार पुत्र पंचम लाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी नया प्राइवेट बस स्टैंड के पास, होटल मीरा हेरिटेज के पीछे, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा

अपराध रिकॉर्ड:-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर, महोबा में चोरी, लूट, गैंगस्टर एक्ट व गुण्डा एक्ट जैसे संगीन अभियोग पंजीकृत हैं,

इनामिया अभियुक्त दीपक अहरिवार का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 657/24 धारा 305 ए /331(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर महोबा
2. मु0अ0सं0 666/24 धारा 305 ए /331(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर महोबा
3. मु0अ0सं0 584/20 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर महोबा
4. मु0अ0सं0 617/20 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर महोबा
5. मु0अ0सं0 33/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
6. मु0अ0सं0 503/22 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर महोबा
7. मु0अ0सं0 508/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर महोबा
8. मु0सि0सि0नं0 18/21 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
9. मु0अ0सं0 90/25 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
10. मु0अ0सं0 56/25 धारा 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खन्ना

बरामदगी:

- 01 अदद तमंचा 315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस(बैरल में फंसा हुआ)
- 01 अदद मो0सा0 नंबर UP95X6172 एमवी एक्ट के तहत सीज

घोषित पुरस्कार राशि: ₹ 25,000/- नगद

गिरफ्तारी करने वाली संयुक्त पुलिस टीम:

थाना खन्ना टीम:

1. प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह 3. उ0नि0 मौजीलाल वर्मा
4. हे0का0 रामबाबू 5. हे0का0 हरदेव सिंह परिहार 6. हे0का0 लोकेश कुमार
7. हे0का0 प्रियंक कुमार 8.का0 विवेक कुमार 9.का0 सूर्याश प्रताप सिंह

एसओजी टीम:

1. उ0नि0 शिव प्रताप सिंह, प्रभारी स्वाॅट टीम महोबा
2. का0 निर्भय सिंह 3. का0 रंजीत सिंह 4. का0 आशीष बघेल
5. का0 कुलदीप यादव 6. का0 अभिषेक दुबे

जनपदीय एसओजी एवं थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 02 नफर शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, अभियुक्तों की पूछताछ से चोरी की घटना का हुआ सफल अनावरण, कब्जे से चोरी की सम्पत्ति 06 हजार रु. नगद बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध एवं अवैध तमंचे की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह व जनपदीय एसओजी टीम प्रभारी श्री शिवप्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान रेलवे ओवर ब्रिज सन्त जोसेफ स्कूल के पीछे बहद मु0 बजरिया थाना कोतवाली नगर जपनद महोबा से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.राजू बहेलिया पुत्र चम्पत उम्र 55 वर्ष निवासी देवगंज थाना विधुवा जिला मैनपुरी के पास से 02 अदद जिन्दा कारतूस तथा 2.नन्दकिशोर बहेलिया पुत्र किशन उम्र 27 वर्ष निवासी ब्रह्मपुरी थाना भेरापुर जिला फर्रुखाबाद से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस नजायज बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0 228/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में थाना कोतवाली नगर महोबा में चोरी के प्रकरण में पंजीकृत किये गये मु0अ0सं0 205/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित घटना को कारित किये जाने की बात कबूली गयी है इस चोरी से सम्बन्धित नगद 06 हजार रु. भी इनके कब्जे से बरामद किये गये हैं। जिस पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरण व बरामदगी-

1. राजू बहेलिया पुत्र चम्पत उम्र 55 वर्ष निवासी देवगंज थाना विधुवा जिला मैनपुरी के पास से 02 अदद जिन्दा कारतूस तथा चोरी के 2500 रु. नगद
2. नन्दकिशोर बहेलिया पुत्र किशन उम्र 27 वर्ष निवासी ब्रह्मपुरी थाना भेरापुर जिला फर्रुखाबाद से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस नजायज चोरी के 3500 रु. नगद

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, श्री अर्जुन सिंह
2. उ0नि0 संजय सिंह चौकी इंचार्ज बजरिया थाना कोतवाली नगर महोबा
3. कां0 संग्राम सिंह 4. कां0 आमिर खान थाना कोतवाली नगर महोबा

एसओजी टीम-

1. उ0नि0 शिव प्रताप सिंह, प्रभारी स्वॉट टीम महोबा
2. कां0 निर्भय सिंह
3. कां0 रंजीत सिंह
4. कां0 आशीष बघेल
5. कां0 कुलदीप यादव
6. कां0 अभिषेक दुबे



2025.05.17 10:33

जनपदीय एसओजी एवं थाना कोतवाली नगर महोबा की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध एवं अवैध तमंचे की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह व जनपदीय एसओजी टीम प्रभारी श्री शिवप्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त जयवीर बहेलिया पुत्र दयाराम उम्र 32 वर्ष निवासी देवगंज थाना बिछवा जनपद मैनपुरी उ०प्र० को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत छोटी चन्द्रिका देवी मंदिर से बड़ी चन्द्रिका देवी मन्दिर की ओर जाने वाले रास्ता मो० कठकुलवा से 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मा० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जयवीर बहेलिया पुत्र दयाराम उम्र 32 वर्ष निवासी देवगंज थाना बिछवा जनपद मैनपुरी उ०प्र०

बरामदगी विवरण-

01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, श्री अर्जुन सिंह
2. उ०नि० सनय कुमार चौकी प्रभारी मनियादेव
3. का० धर्मेन्द्र कुमार

एसओजी टीम-

1. उ०नि० शिव प्रताप सिंह, प्रभारी स्वाॅट टीम महोबा
2. का० निर्भय सिंह 3. का० रंजीत सिंह
4. का० आशीष बघेल 5. का० कुलदीप यादव 6. का० अभिषेक दुबे





उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 17.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

